राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट-1/ 25066 जयपुर, दिनांकः 6-10.2023

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरे एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा की गई थी।

चूंकि अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर, 1999 में यह तय किया गया था कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचंकांक 2003 (1960=100) (माह जनवरी, 1999 से जून, 1999 के औसत) को आधार मानते हुए इसके ऊपर देय होगा। इस प्रकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना प्रति वर्ष विगत माह जुलाई से जून के औसत सूचकांक (जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी) के आधार पर देय होगा।

चूंकि श्रम ब्यूरों द्वारा आधार वर्ष 2016=100 के सूचकांक को 1960=100 के आधार वर्ष से तुलनात्मक बनाते हुए नई श्रंखला जारी होने से पूर्व नई एवं पुरानी श्रंखला के 12 महीनों के सभी केन्द्रों के औसत सूचकांक का औसत लेकर उनके अनुपात के आधार पर राज्य के जयपुर, अलवर व भीलवाडा केन्द्रो के लिए एक लिकिंग फैक्टर 62.89 सूचित किया है।

चूंकि श्रम आयुक्त, राजस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11सन् 1948) की अधिसूचना क्रमांक एफ.8(1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000 /24322 दिनांक 05.09.2023 के अनुसार जुलाई, 2022 से जून, 2023 के 12 महीनों की अवधि में .जयपुर, अलवर एव भीलवाडा केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का औसत 8060 (1960=100) रहा है और इस प्रकार पूर्व में श्रम ब्यूरो शिमला के जयपुर, अलवर एवम भीलवाडा केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7760 (1960=100) (माह जुलाई, 2021 से जून, 2022 के आंकडों के औसत) के ऊपर जुलाई, 2022 से जून, 2023 की अवधि में (8060-7760=300पॉइन्ट) 300 बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा निर्धारित मान एवं निर्देशों के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ) सपठित धारा 4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचना क्रमांक

एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/24322 दिनांक 05.09.2022 के अनुसरण में किसी पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चाइनावेयर, नमक उद्योग, ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले संस्थान के नियोजन तथा पापड़ उद्योग में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से 30 सितम्बर, 2024 तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय होगा:-

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम		कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें (प्रति माह/प्रति दिन रू0 में)	कुल मजदूरी (प्रति माह/ प्रति दिन रू0 में)
1.	पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर)	1. क	अकुशल कामगार बेलदार, वर्ककीपर, जलधारी, क्रेच अटेन्डेन्ट, स्वीपर, पत्थर ढ़ोने वाला	रू0 2106/- प्रति माह	रू0 5957/- प्रति माह	रू0 8063/- प्रति माह
		ख	मददगार, जरीबी	रू0 2137.25 प्रतिमाह	रू0 5957/- प्रतिमाह	रू0 8094.25 प्रतिमाह
		ग	चौकीदार, जमादार (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो परन्तु जो अकुशल कार्य करते हो)	रू0 2167.90 प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8124.90 प्रतिमाह
		2.	अर्द्धकुशल कामगार मुंशी, भू-सर्वेक्षक, मेट (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हो)	रू0 2255/- प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8212/- प्रतिमाह
		3. क	कुशल कामगार मिस्त्री, बढ़ई, जलाईदार, लुहार, यंत्रक, फिटर्स, लाईनमैन, बिजली वाला, वाशमेन	रू0 2383/- प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8340/- प्रतिमाह
		ख	मोटरगाडियों के ड्राईवर, 10 अश्वशक्ति मशीनों के ड्राईवर	रू0 2656/ प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8613/- प्रतिमाह
		ग	यांत्रिक,आन्ध्रिक, विस्फोटकर्ता, पत्थर चलित चालक	रू0 2656/- प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8613/- प्रतिमाह
2.	ग्लास एवं चाईनावेयर	1.	अकुशल कामगार	रू0 2106/- प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8063/- प्रतिमाह
		2.	अर्द्धकुशल कामगार	रू0 2255/- प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8212/- प्रतिमाह

		3.	कुशल कामगार	रू0 2383/- प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8340/- प्रतिमाह
3.	नमक उद्योग	क	निर्माण कार्य(मैन्यूफैक्चरिंग)- क्यारियों का समतल करना, धुलाई, सफाई, रेस्टा फैलाना, नील हटाना, तारी तोड़ना, नालियों की सफाई आदि घाटी से चिकनी मिट्टी हटाना, क्यारियों का पुनर्भरण	रू0 2106/- प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8063/- प्रतिमाह
		ख	निकासी एवं भण्डारण			
		1.	ढेर लगाना, ढुलाई तथा ट्रकों में लदाई जहां से कार्य एक ही कामगार टोली द्वारा किया जावे (100 क्यूबिक फीट)	रू0 33.55 प्रति 104.25क्यू. मीटर्स	रू 5957/- प्रतिमाह या 229.11 प्रतिदिन	-
		2.	ढेर लगाना ,ढुलाई या बोरी	रू0 2106/- प्रतिमाह	रू 5957/- प्रतिमाह	रू0 8063/- प्रतिमाह
		ग	प्रेषण कार्य में ट्रकों में लदाई सम्मिलित रूप से अथवा अकेले			
		1.	कटाई एवं भराई	रू0 272.75 प्रति 156 बेग्स या145 क्विन्टल	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रति दिन	-
		2.	तुलाई एवं लदाई	रू0 435.63 प्रति 156 बेग्स या 145 क्विन्टल	रू0 5957/- प्रति माह या रू0 229.11 प्रति दिन	-
		3.	सिलाई	रू0 52.35/- प्रति156 बेग्स या 145 क्वि. के वेगन लोड परन्तु 60रू0 प्रतिदिन से कम नहीं होगा	रू0 5957/- प्रति माह या रू0 229.11 प्रति दिन	-
		घ	सामान्य			
		1.	पम्पिंग कामगार मिस्त्री	रू0 117.57 प्रतिदिन	रू0 229.11 प्रतिदिन	रू0 346.68 प्रतिदिन

		2.	अन्य प्रणाली या कार्य जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।	रू0 81/- प्रतिदिन	रू0 229.11 प्रतिदिन	रू0 310.11 प्रतिदिन
		3.	बंधेवाल	रू0 327.41 प्रति मीट्रिक टन (2.75 व्यक्ति)	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
4.	ऊनी गलीचे बनाने वाले तथा दुशाले बुनने वाले सस्थान के नियोजन	1.	टाईम रेट मेन्यूअल ऑक्यूपेशनल मिनिमम टाइम रेट	रू0 2106/- प्रतिमाह या 81 रू0 प्रतिदिन	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	रू 8063/- प्रतिमाह या रू0 310.11 प्रतिदिन
		2.	पीस रेट ऑक्यूपेशन			
		क	यार्न ओपनर मिल स्पून 40 काउन्ट तक	रू0 4.05 प्रति किलो (हेण्ड स्पून 30 किलो तक) रू0 8.10प्रति किलो	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
			मिल स्पून 70 काउन्ट तक	रू 9.25 प्रति किलो	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
			मिल स्पून 70 काउन्ट से अधिक	रू0 10.38 प्रति किलो	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		अ	स्पिनर वूल स्पून	रू0 2329 प्रति किलो	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		ब	वाशरमैन	रू0 2678 प्रति माह	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	रू0 8635/- प्रतिमाह
		स	ड्राईवर	रू0 2663 प्रति माह	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	रू0 8620/- प्रतिमाह

		द 1.	वीयर प्लेन कारपेट (एक रंग) 40,000 नॉटस तक प्रति वर्ग गज	रू0 141.72 प्रति वर्गमीटर	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		2.	40000 नॉटस से अधिक के नमूनेदार गलीचे	रू0 144.57 प्रति वर्गमीटर	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		3.	15 रंगो वाले 30 हजार नॉटस तक	रू0 227.68 प्रति वर्गमीटर	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		4.	20 रंगों वाले 30 हजार नॉटस तक	रू0 275.33 प्रति वर्गमीटर	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		5.	20 रंगों से अधिक और 40 हजार नॉटस	रू0 428.83 प्रति वर्गमीटर	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		च	क्लीनर्स	रू0 2504 प्रति माह	रू0 5957/- प्रतिमाह	रू0 8461 /- प्रतिमाह
			(4x4) नॉटस			
		छ	एम्बेजर्स	रू0 2752 प्रतिमाह	रू0 5957/- प्रतिमाह	रू0 8709 /- प्रतिमाह
		ज	कारपेट मिस्त्री	रू0 2541 प्रतिमाह	रू0 5957/- प्रतिमाह	रू0 8498/- प्रतिमाह
5.	पापड़ उद्योग	1.	1.6 इंच साईज तक के पापड प्रति सैकड़ा	रू0 15.11	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		2.	2.6 इंच से अधिक तथा 8 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रू0 19.62	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		3.	8 इंच से अधिक तथा 10 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रू0 22.60	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-

		4.	10 इंच से अधिक तथा 12 इंच तक के पापड़ प्रति सैकड़ा	रू0 30.19	रू0 5957/- प्रतिमाह या रू0 229.11 प्रतिदिन	-
		5.	पापड़ बेलने के कार्य के अतिरिक्त जो भी कर्मचारी इस नियोजन में नियोजित है उसे दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में नियोजित कर्मचारी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार भुगतान देय होगा तथा वी.डी.ए. इस नियोजन के अन्य कामगारों के समान देय होगा।	-	-	-

स्पष्टीकरण

1. उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6)श्रम/ 86 दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
2. उक्त पांचों अनुसूचित नियोजनों के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना जुलाई, 2022 से जून, 2023 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (300 अंक) एक रूपया प्रति बिन्दु प्रति माह के मान से की गई है। गणना रूपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।
3. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।
4. दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।
5. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
6. ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ0 घनश्याम)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट-1/ 25067 – 75 जयपुर दिनांकः 6-10.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना बॉयलर्स एवं ई.एस.आई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त(मु0), राजस्थान, जयपुर।
8. उप निदेशक, आई.टी सेल को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करावे तथा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्श कराने का श्रम करे।
9. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।

(डॉ0 घनश्याम)

श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी

अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट-1/ 25076 जयपुर, दिनांकः 6-10.2023

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) तथा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (6) श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के द्वारा की गई थी।

चूंकि अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2000 में यह तय किया गया था कि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना श्रम ब्यूरो शिमला के अजमेर तथा जयपुर केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2003 (1960=100) (माह जनवरी, 1999 से जून, 1999 के औसत) को आधार मानते हुए इसके ऊपर देय होगा। इस प्रकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जिसकी गणना प्रति वर्ष विगत माह जुलाई से जून के औसत सूचकांक (जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी) के आधार पर देय होगा।

चूंकि श्रम ब्यूरों द्वारा आधार वर्ष 2016=100 के सूचकांक को 1960=100 के आधार वर्ष से तुलनात्मक बनाते हुए नई श्रंखला जारी होने से पूर्व नई एवं पुरानी श्रंखला के 12 महीनों के सभी केन्द्रों के औसत सूचकांक का औसत लेकर उनके अनुपात के आधार पर राज्य के जयपुर, अलवर व भीलवाडा केन्द्रो के लिए एक लिकिंग फैक्टर 62.89 सूचित किया है।

चूंकि श्रम आयुक्त, राजस्थान एवं सक्षम प्राधिकारी अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन् 1948) की अधिसूचना क्रमांक एफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/ 2000/पार्ट-1/24322 दिनांक 05.09.2023 के अनुसार जुलाई, 2022 से जून, 2023 के 12 महीनों की अवधि में जयपुर, अलवर व भीलवाडा केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का औसत 8060 (1960=100) रहा है और इस प्रकार श्रम ब्यूरो, शिमला के जयपुर, अलवर एवम भीलवाडा केन्द्रों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7760 (1960=100) (माह जुलाई, 2021 से जून, 2022 के आंकडों के औसत) के ऊपर जुलाई, 2022 से जून, 2023 की अवधि में (8060-7760=300 पॉइन्ट) 300 औसत बिन्दुओं की बढ़ोतरी हुई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.5 (6) श्रम /86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 एवं एस.ओ. 77 दिनांक 24.5.2008 के द्वारा जारी निर्देश एवं मान (वैल्यू) के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ) सपठित धारा 4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचनाएं क्रमांक एफ.1 (8) वीडीए /न्यू.म./श्रम / 2000/12526 दिनांक 26.9.2000 एवं क्रमांक एफ.8 (1) वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/24322 दिनांक 05.09.2023 के अनुसरण में किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से 30 सितम्बर, 2024 तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय होगा:-

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (रू0. में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें	कुल मजदूरी
1	2	3	4	5	6
1.	किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन	1. सभी प्रकार की बीड़ी रोलिंग का कार्य	रू0 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 85.82प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 158.50 प्रति एक हजार बीड़ी
		2. बंडल रेपिंग एवं पैकिंग	रू0 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 85.82 प्रति एक हजार बीड़ी	रू0 158.50 प्रति एक हजार बीड़ी
		3. बीड़ी सोटर्स एवं चैकर्स (पूरे समय का श्रमिक एवं क्लर्क्स)	रू0 2648.76 प्रतिमाह	रू0 5957 प्रतिमाह	रू0 8605.76 प्रतिमाह
		4. सनफ पैकिंग	रू0 2254.89 प्रतिमाह	रू0 5957 प्रतिमाह	रू0 8211.89 प्रति माह
		5. अन्य श्रमिक-तम्बाकू मिक्स, तम्बाकू सोटर्स भट्टे वाला तथा पल्लेदार	रू0 2106 प्रतिमाह	रू0 5957 प्रतिमाह	रू0 8063 प्रतिमाह
		6. चौकीदार, वाचमैन	रू0 2167.90 प्रतिमाह	रू0 5957 प्रतिमाह	रू0 8124.90 प्रतिमाह

स्पष्टीकरण

1. उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) श्रम / 86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
2. स्तम्भ संख्या 3 क्रम संख्या 1 एवं 2 के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु जुलाई, 2022 से जून, 2023 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (300 अंक) के आधार पर डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी (रोलिंग/बंडल रैपिंग एवं पैकिंग) के मान से की गई है। (अधिसूचना 24.5.2008 के अनुसार)
3. स्तम्भ 3 के क्रम में संख्या 3 से 6 वर्ग के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना माह जुलाई, 2022 से जून, 2023 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (300 अंक) के आधार पर एक रूपया प्रति बिन्दू प्रति माह के मान से की गई है। गणना रूपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।
4. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।

5. दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
7. ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ0 घनश्याम)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्रमांकः एफ.8(1)वीडीए/न्यू.म./श्रम/2000/ पार्ट-1/ 25077—85 जयपुर दिनांकः 6-10-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. निदेशक, प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी (राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय) जयपुर को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतू।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम, कारखाना बॉयलर्स एवं ई.एस.आई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त श्रम आयुक्त(मु0), राजस्थान, जयपुर।
8. उप निदेशक, आई.टी सेल को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में करावे तथा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्श कराने का श्रम करे।
9. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।

(डॉ0 घनश्याम)
श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948